

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर




क्रमांक:-प.1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/123/2018/2949 दिनांक:- 28/2/18

कार्यालय-आदेश

मण्डल द्वारा अधिकारियों को आवास पर लैण्ड लाईन दूरभाष, ब्राडबैण्ड एवं मोबाईल फोन, डाटा कार्ड सुविधा के बिलों के पुनर्भरण की वित्तीय सीमा कार्यालय आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/123/2014/510 दिनांक 21.05.2014 के द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त वर्णित आदेशों के निर्देश बिन्दु संख्या 10 में अंकित निर्देशों- "सभी मण्डल अधिकारियों को मण्डल द्वारा स्वीकृत वोडाफोन मोबाईल सी.यू.जी. योजना के अन्तर्गत ही कनेक्शन लेना होगा" को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है। भविष्य में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यक्तिगत मोबाईल नम्बर (किसी भी मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी का) के बिलों का संदर्भित आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक पुनर्भरण किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अनिल कुमार कौशिक)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता-मु. /I/II, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति.मुख्य नगर नियोजक/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक विधि/उप सचिव/वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव/कार्मिक प्रबन्धक/सिस्टम एनालिस्ट, रा.आ.म., जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....राज0आवा0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत..... राज0आवा0मण्डल,.....।
6. समस्त आवासीय अभियंता, खण्ड-.....राज0आवा0मण्डल,.....।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी-वित्त/भुगतान/पीएफ एण्ड पेंशन/प्रभारी अधिकारी, गोपनीय/एसीआर प्रकोष्ठ, राज0आवा0मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय-.....
9. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



क्रमांक:-प.1(1)कार्मिक/दूरभाष नीति/123/2018/2950

दिनांक:- 28/2/18

मैनेजर,
पोस्टपेड वोडाफोन, गौरव टॉवर,
मालवीय नगर, जयपुर।

विषय :- मण्डल से स्वीकृत वोडाफोन सी.यू.जी. योजना को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मण्डल अधिकारियों को मण्डल हित में मोबाईल सुविधा के लिये वोडाफोन सीयूजी योजना स्वीकृत की हुई हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्त मोबाईल सुविधा प्रदाता कम्पनियों द्वारा कॉलिंग सुविधा निशुल्क कर दी गयी है, जिसके कारण सीयूजी योजना महत्वहीन हो गयी है।

अतः मण्डल द्वारा स्वीकृत वोडाफोन सीयूजी योजना को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है। प्रकरण आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। राजस्थान आवासन मण्डल के नाम से जिन अधिकारियों को मोबाईल सिम उपलब्ध करवायी हुई है, उनके द्वारा उक्त सिम निजी नाम व पते पर हस्तांतरित करवायी जाती है, तो मण्डल को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त क्रम में लेख है कि भविष्य में वोडाफोन सीयूजी योजना के अन्तर्गत मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध करवाये गये मोबाईल नम्बर के पेटे भुगतान की राजस्थान आवासन मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कृपया आपके स्तर से समस्त वोडाफोन सीयूजी योजना के तहत मोबाईल नम्बर धारक अधिकारियों को जारी सिम स्वयं के नाम अविलम्ब हस्तांतरित करवाने हेतु सूचित किये जाने का श्रम करे।

भवदीय,


(अनिल कुमार कौशिक)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता-मु. /I/II, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता.....राज0आवा0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त..... राज0आवा0मण्डल,.....।
5. समस्त आवासीय अभियंता, खण्ड-.....राज0आवा0मण्डल,.....।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान)/संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), रा.आ.म., जयपुर।
7. संबंधित समस्त अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान आवासन मण्डल के नाम से जारी वोडाफोन मोबाईल नम्बर को अविलम्ब निजी नाम व पते पर हस्तांतरित करवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक